न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 09 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 92

1. दर्शन सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रायसिख निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर –प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–
1. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अनुपस्थित, प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी उपतहसीलदार समेजा कोठी द्वारा राज. उप. अधि. की धारा 22 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को चक 3 बीडब्लयूएसएम के पं.न. 295 / 328 के कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 में कुल 2.285है. भूमि से बेदखल करने व फसल निलामी का आदेश दिया गया हैं से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया हैं।
2. अपील मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी की अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश एकपक्षीय बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं। अपीलार्थी को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य हैं। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 30 वर्षो से शांतिपूर्ण कब्जा काश्त हैं जिस अपीलार्थी को बेदखल करना अपीलार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हैं। धारा 22 की कार्यवाही अनुचित विधि से की गयी हैं। भू.अ.नि. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किये बिना फसल की निलामी की जा रही हैं। उक्त निर्णय Cyclostyled Order होने के कारण विधिसंगत नहीं होने से खारिज योग्य हैं। प्रकरण की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2024 को हुई, अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गयी हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करते हुए आलौच्य आदेश एकपक्षीय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय में अपील दिनांक 18.04.2024 को पेश हुई हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.03.2024 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित ... पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस क्रमांक / 174 दिनांक 14.02.2024 जो कि धारा 22 राज. उप. अधि. के तहत अपीलार्थी को प्रेषित किया गया हैं का अवलोकन करने पर पाया गया कि नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई हैं। नोटिस पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। नोटिस पर किसी तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित नहीं हैं। अतः उक्त नोटिस को विधिवत तामील नहीं माना जा सकता हैं।
5. चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। जिससे अपीलार्थी व्यथित हैं ऐसी स्थिति में मियाद के आधार पर अपीलार्थी की प्रार्थना अस्वीकार किया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायसंगत नहीं हैं। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

6. उपर्युक्त पैरा. सं. 4 में किये गये विवेचन के आधार पर चूंकि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा प्र.सं. 38/2024 में पारित अपीलाधीन आदेश 05.03.2024 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण उप तहसीलदार समेजा कोठी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए एक माह के भीतर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:18:40 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज०)